

उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग-8

संख्या /2018/4(120)/XXVII(8)/2018/CT-15

देहरादून:: दिनांक:: 28 मार्च, 2018

अधिसूचना

चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;


अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 164 एवं उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) नियम, 2018 की क्रम संख्या 1(2) पर उल्लिखित व्यवस्था के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 अप्रैल, 2018 को उस तारीख के रूप में नियत करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, जिससे उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग-8 की अधिसूचना संख्या 282/2018/4(120)/XXVII(8)/2018/CT-12 दिनांक 24 मार्च, 2018 के क्रम संख्या 3 [नियम 138 के उपनियम (7) के सिवाय], क्रम संख्या 4, क्रम संख्या 5, क्रम संख्या 6, क्रम संख्या 7 एवं क्रम संख्या 8 पर उल्लिखित उपबंध प्रवृत्त होंगे।

(राधा रतूड़ी)  
प्रमुख सचिव

सं० 289/2018/4(120)/XXVII(8)/2018/CT-15 तददिनांक।


प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।
- 2-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रुड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100-100 प्रतियाँ वित्त अनुभाग-8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
- 3-विधायी एवं संसदीय कार्य अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 4-अपर सचिव, वित्त-8, उत्तराखण्ड शासन।
- 5-एन0आई0सी0
- 6-गार्ड फाईल हेतु।

  
.....अनुभाग  
आवश्यक कार्यवाही करें।

अपर आयुक्त (वित्त) कर  
उत्तराखण्ड, देहरादून

11907  
28/03/2018

आज्ञा से,  
  
(हीरा सिंह बसेड़ा)  
अनु सचिव


In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 289/2018/4(120)/XXVII(8)/2018/CT-15 dated 28 March, 2018 for general information.

**Government of Uttarakhand**  
**Finance Section-8**  
**No. 289/2018/4(120)/ XXVII(8)/2018/CT-15**  
**Dehradun :: Dated:: 28 March, 2018**

**Notification**

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 164 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017) and under the provision mentioned at serial no. 1(2) of the Uttarakhand Goods and Services Tax (second amendment) Rules, 2018, the Governor is pleased to allow to appoint the 1<sup>st</sup> day of April, 2018, as the date from which the provisions mentioned at serial no.3[other than sub-rule (7) of Rule 138], serial no. 4, serial no. 5, serial no. 6, serial no. 7 and serial no. 8 of Notification No 282/2018/4(120)/ XXVII(8)/2018/CT-12 Dated 24 March, 2018 of the Government of Uttarakhand Finance Section-8, shall come into force.

  
(Radha Raturi)  
Principal Secretary